HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

ISO 9001 DNV MGMT SYS. RvA C024 DNV Certification B.V.

REGD. Off. & Works : Near Industrial Development Colony Hisar - 125 005 (Haryana) INDIA
Ph. : 01662-220067, 220367, 220738, Fax : 91-1662-220265
E-mail : info@hisarmetal.com
Delhi Off. Ph. : 011 - 45056727, 27354176 Fax : 011 - 43851119
Website :www.hisarmetal.com
CIN-L74899HR1990PLC030937

May 14, 2018

Corporate Relationship Department
Bombay Stock Exchange
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001
Scrip Code: 590018
(Permitted Security/BSE indonext)

Corporate Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor
Plot No. C-1, G Block
Bandra Kurla Complex, Bandra East
Mumbai – 400051
Scrip Code: HISARMETAL

Sub: Newspaper Publication for Board Meeting to consider and approve Audited financial results for the quarter and year ended on March 31, 2018

Dear Sir / Madam

Pursuant to our letter dated 12/05/2018 regarding meeting of board of Directors of the company to be held on Tuesday, May 29, 2018 to consider and take on record inter alia the Audited Financial Results of the company for the quarter and year ended 31st March,2018 we hereby enclose copies of the notice published in “The Financial Express” (English-Newspaper) and “Jansatta” (Hindi-Newspaper) on 14/05/2018.

This is for your kind information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,
For **Hisar Metal Industries Limited**

(Vishesh Kumar Chugh)
Company Secretary & Compliance Officer

QR codes on a
cabs to be mad
mandatory in

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, May 13

STARTING NEXT MONTH, it will be mandatory for all cabs and autos in Delhi to have QR codes compatible with the 'Himmat Plus' app, which will allow commuters to get details about the driver and share it with their family.

The transport department has made QR codes a mandatory permit condition for cabs and autos plying on the city roads.

The decision was taken last month at the board meeting of the Delhi's State Transport Authority. The board had decided that the codes will be displayed conspicuously and in an accessible manner in vehicles of permit holders.

"From mid-June, Himmat Plus-compatible QR codes will be mandatory for permit holders of all autos, taxis and other public service vehicles. Violations will invite penalty of

₹5,000," of

The dep
out modal
with the tr
already co
over 3,000

The e
launched i
for safety
gers in so
the airpo
extended t
rickshaws
gers from
tions.

The app
February t
able to scan
and autos.

Auto industry wants cars to be left out of FTA with EU

HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Near Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar - 125005 Haryana
Email: info@hisarmetal.com, **Website:** www.hisarmetal.com
Tel.: (01662) 220067, 220367, 220738, **Fax:** (011) 43851119
CIN: L74899HR1990PLC030937

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, May 29, 2018 inter-alia, to consider and approve the audited financial results for the quarter and financial year ended on March 31, 2018 and to recommend dividend, if any, for the said year.

Trading Window for dealing in the securities of the Company shall remain closed from 18th May, 2018 to 31st May 2018 (both days inclusive).

The said information is also available on the Company's website at www.hisarmetal.com and on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Hisar Metal Industries Limited
Sd/-
(Vishesh Kumar Chugh)
Company Secretary

Place: Hisar (Haryana)
Date: May 12, 2018

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

BRANCH OFFICE: KAMLA NAGAR, DELHI

POSSESSION NOTICE {for Immovable Property under Rule 8(1)}

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the **UCO BANK, Kamla Nagar, Delhi Branch,** under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of the powers conferred under section 13(2) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated **14.12.2017,** calling upon the **Borrowers: MR. DAVENDER KHANNA & MRS. JYOTI KHANNA,** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.6,31,377.45 (Rupees Six Lakhs Thirty One Thousand Three Hundred Seventy Seven and Paise Forty Five Only) as on 14.12.2017,** with further interest, expenses and other charges etc. thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower / guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 9 of the said rule on this **9th Day of May of the Year 2018.** The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the **UCO BANK, Kamla Nagar, Delhi Branch,** for an amount of **Rs.6,31,377.45 (Rupees Six Lakhs Thirty One Thousand Three Hundred Seventy Seven and Paise Forty Five Only) as on 14.12.2017** with

दंगा प्रभावित औरंगाबाद में स्थिति सामान्य हुई

लेकिन शहर में पाबंदियां अब भी जारी हैं

औरंगाबाद (महाराष्ट्र), 13 मई (भाषा)।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवैध पानी कनेक्शनों को लेकर दो समुदायों में झड़प में दो व्यक्तियों की मौत के बाद स्थिति शांत पर तनावपूर्ण है और पुलिस किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए कड़ी नजर बनाए हुए है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुंबई से 350 किलोमीटर दूर मराठवाड़ा क्षेत्र के इस दंगाप्रभावित शहर में स्थिति को नियंत्रण में ले आ गया है लेकिन कुछ पाबंदियां अब भी लगी हुई हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगी हुई हैं। शहर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं।

औरंगाबाद के पुलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे ने कहा कि पुलिस गोलीबारी में कथित रूप से मारे गए 17 वर्षीय एक बच्चे का अंतिम संस्कार रविवार किया गया। शहर में स्थिति सामान्य है। उन्होंने कहा, 'हमने किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाने पर अंकुश लगाने के लिए हमने इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं।' उन्होंने कहा, 'हमने लोगों से अफवाहों पर यकीन नहीं करने तथा पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने की अपील की है।' एक अन्य पुलिस अधिकारी के अनुसार शुक्रवार को रात करीब दस बजे मोती कारंजा इलाके में दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी और वह गांधीनगर, राजा बाजार, शाह गंज और सराफा क्षेत्रों में फैल गई थी।

उन्होंने बताया कि हिंसा में दो लोग मारे गए थे और पुलिसकर्मियों समेत 60 से ज्यादा अन्य लोग घायल हुए थे। इस हिंसा में जान गंवाने वाला दूसरा व्यक्ति 65 वर्षीय एक बुजुर्ग था, जो अपने घर में तब फंस गया था, जब दंगाइयों ने उसके घर के बगल वाले घर में आग लगा दी थी। करीब 100 दुकानें जला दी गई थीं और 40 से अधिक वाहन नष्ट कर दिए गए।

उन्होंने बताया कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस, स्टेट रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों को तैनात किया गया है। तलाशी अभियान के दौरान पेट्रोल बम और किरोसिन से सने कपड़े के गोले मिले थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है।

राज्य के हितों की रक्षा नहीं, तो मुख्यमंत्री रहने का कोई मतलब नहीं : सोनोवाल

गुवाहाटी, 13 मई (भाषा)।

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि यदि वह राज्य के लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर पाए तो उनका इस पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

वह नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की हाल की यात्रा के बाद के राज्य में व्याप्त स्थिति पर शनिवार शाम यहां प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादकों के साथ रूबरू हुए थे।

सोनोवाल ने कहा,'यदि राज्य और उसके लोगों के हित सुरक्षित नहीं कर पाए तो मेरा राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं है। इसी कारण हम असम के लोगों के हितों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे।' विधेयक में किए गए एक महत्वपूर्ण संशोधन में भारत में छह वर्ष तक रहने के बाद अफगानिस्तान , बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध धर्म के लोग बिना वैध दस्तावेजों के भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सोनोवाल ने कहा,'मुख्यमंत्री होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि सभी को साथ लेकर चलें और केवल खुद से ही निर्णय नहीं ले। असम के लोगों की राय लेकर हम इस मुद्दे पर फैसला करेंगे।' उन्होंने कहा,'आप सब लोगों द्वारा दिए गए सुझावों पर मैं गंभीरता से विचार करूंगा और मैं आगामी दिनों में इस संबंध में वरिष्ठ नागरिकों और बुद्धिजीवियों के साथ विचार - विमर्श करूंगा।' उन्होंने लोगों से शांति की अपील की और कहा कि लोगों को आंदोलित होने की जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा,'हम असम के लोगों के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं करेंगे। हम सबको राज्यभर में शांति सुनिश्चित करनी है और सरकार में लोगों का विश्वास कायम रखना है। मैं शांति बनाए रखने के लिए सभी से अपील करता हूं ताकि अप्रिय परिस्थितियां राज्य में पैदा नहीं हों।' उन्होंने कहा,'जेपीसी अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि समिति विधेयक पर लोगों की और राय लेने के लिए असम वापस आएगी। लोगों को हालांकि, अपनी राय देना जारी रखना चाहिए।' नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 को लोकसभा में 'नागरिकता अधिनियम' 1955 में बदलाव के लिए लाया गया है।

भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता वाली 16 सदस्यीय जेपीसी ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर सभी पक्षों से राय जानने के लिए सात मई से नौ मई तक राज्य का दौरा किया था। जेपीसी ने ब्रह्मपुत्र घाटी जिलों के लिए सात मई को और तीन बराक घाटी जिलों के लिए अगले दो दिनों तक गुवाहाटी में व्यक्तियों, राजनीतिक और अन्य संगठनों से विधेयक पर राय ली थी।

बंगाली प्रभुत्व वाली बराक घाटी में ज्यादातर लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं जबकि ब्रह्मपुत्र घाटी में लोग इसके विरोध में हैं। जेपीसी की सुनवाई के बाद विधेयक के खिलाफ ब्रह्मपुत्र घाटी में नियमित रूप से विरोध जताया जा रहा है।

हवाई फायरिंग को लेकर कांग्रेस विधायक के बेटों पर प्राथमिकी दर्ज

आणंद (गुजरात) 13 मई (भाषा)।

गुजरात में एक संगीत कार्यक्रम में कांग्रेस के एक विधायक के दो बेटों को हवाई फायरिंग करते हुए कथित तौर पर दिखाने वाला एक वीडियो क्लिप सामने आने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

हालांकि, उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन पूछताछ के लिए तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। आणंद नगर पुलिस थाना निरीक्षक एनके चौहान ने बताया कि इस सिलसिले में आणंद से विधायक कांतिभाई सोढ़ा परमार के बेटे महेंद्रभाई सोढ़ा और रंजीतभाई सोढ़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि महेंद्रभाई और रंजीत भाई अन्य अज्ञात लोगों के साथ एक वीडियो में कथित तौर पर हवा में कई गोलियां चलाते दिख रहे हैं, जिसके बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई।

तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा, समूचा विपक्ष एकजुट हो लड़ेगा अगला चुनाव : शरद

नई दिल्ली, 13 मई (भाषा)।

वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव ने अगले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा की चुनौती से निपटने के लिए तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद को नकारते हुए सभी विपक्षी दलों के एकजुट होने का भरोसा जताया है। यादव ने कहा, ऐसा तीसरा मोर्चा बनने के कोई आसार उन्हें नजर नहीं आते।

यादव ने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद से विपक्ष की एकजुटता पर असर नहीं पड़ेगा। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी और टीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव द्वारा तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद से विपक्ष की एकता के प्रयासों को धक्का लगने के सवाल पर उन्होंने कहा 'मुझे नहीं लगता कि तीसरा मोर्चा वजूद में आएगा। कुछ समय इंतजार करें, तीसरा मोर्चा बनाने वाले ही साझा विपक्ष की बात करेंगे।' इस भरोसे का आधार बताते हुए उन्होंने कहा 'इस बार संविधान को बचाने की चुनौती है, इसके लिए 'साझा विरासत' के मंच पर सभी दलों और संगठनों को एकजुट करने में मिली कामयाबी से मैं आश्वस्त हूं कि सभी विपक्षी दल, मोदी सरकार की वजह से उपजे संकट से देश को उबारने के लिए तत्पर हैं।' यादव ने कहा कि वह सभी दलों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और समय आने पर सबको एकजुट कर दिखाएंगे।

विपक्षी दलों की एकजुटता को ही एकमात्र विकल्प बताते हुए यादव ने कहा कि क्षेत्रीय और निजी हितों की खातिर जो दल इस जरूरत को नजरंदाज करेंगे, उन्हें भविष्य में भाजपा ही सबक सिखाएगी। यादव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधारा वाले सभी विपक्षी दलों की एकजुटता, गंभीर चुनौती जरूर है लेकिन यह चुनौती नामुमकिन नहीं है।

कांग्रेस, सपा, राजद और रालोद सहित अन्य विपक्षी दलों की कमान संभाल रहे युवा नेतृत्व की गलतियों से भाजपा के मजबूत होने के सवाल पर यादव ने कहा 'अनुभव को नकारने की गलती का खामियाजा भुगतना होता है और इस गलती को सुधारने का परिणाम भी तुरंत मिलता है।' उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बात नहीं मानने और बाद में भूल सुधार कर उपचुनाव में बसपा से हाथ मिलाने का परिणाम सामने है। इसी तरह बिहार में महागठबंधन बना कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने और नीतीश कुमार द्वारा इसे तोड़ने के बाद हुए उपचुनाव में मिली पराजय भी सबके सामने है। उन्होंने कहा 'इसीलिए मैं कहता हूं कि जो एकजुट नहीं होने की गलती से सबक नहीं लेगा, उसे बाद में भाजपा ही सबक सिखाएगी।' उन्होंने चार दशक के अपने राजनीतिक अनुभव के हवाले से कहा 'आपातकाल से लेकर अब तक, जब जब देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हालात आज की तरह नाजुक हुए, तब तब विपक्षी दलों ने एकजुट होकर फिरकापरस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया।' उन्होंने कहा कि आपातकाल की तरह, इस समय भी देश का सामाजिक तानाबाना संकट में है, नोटबंदी और जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था बदहाल है, मध्यम और निचले तबके के लोगों की रोजी रोटी छिन रही है और संविधान की मर्यादा का प्रतिदिन उल्लंघन हो रहा है।' यादव की अगुआई में जद (एकी) से अलग हुए कुछ नेताओं द्वारा नई पार्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने से व्यथित नेताओं ने 'लोकतांत्रिक जनता दल' (लोजद) का गठन किया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस पार्टी से नहीं जुड़े हैं लेकिन आगामी 18 मई को पार्टी के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में वह बतौर विशिष्ट आमंत्रित के रूप में शिरकत करेंगे। इस दिन समाजवादी विचारधारा वाले तमाम क्षेत्रीय दलों का लोजद में विलय होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में लोजद विपक्ष की एकजुटता का मजबूत मंच बनेगा।

मौजूदा हालात की तुलना आपातकाल से करने के सवाल पर यादव ने कहा 'पहली बार देश की सरकार सिर्फ तेल से वसूली गई कीमत से चल रही है।' उन्होंने सरकारी आंकड़ों के हवाले से कहा कि सालाना 24 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट वाली केंद्र सरकार ने 19.61 लाख करोड़ रुपए, पेट्रोल डीजल पर जनता से वसूले गए उत्पाद कर से अर्जित किए। इनमें 11.48 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने और 8.31 लाख करोड़ रुपए राज्यों ने वसूली की है। इससे अर्थव्यवस्था की बदहाली और आम आदमी पर पड़ रहे इसके बोझ की तस्वीर को समझना आसान है।

भागलपुर में हर घर नल योजना पर रपट 20 तक

भागलपुर, 13 मई (जनसत्ता)।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल, घर-घर जल और गली-नाली पक्कीकरण का काम भागलपुर जिले में संतोषप्रद नहीं है। बीडीओ और प्रखंड के पदाधिकारी अपने दायरे के क्रम से तीन और दो पंचायतों में विकास कार्यों की जांच करेंगे और 20 मई तक रपट पेश करेंगे। यह आदेश नए जिलाधीश प्रणव कुमार ने शनिवार को दिया है।

जिलाधिकारी ने विकास कामों की समीक्षा की। बैठक में अपर जिलाधीश, सभी एसडीओ, बीडीओ, शिक्षा अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी, जिला सूचना व जनसंपर्क अधिकारी व दूसरे महकमा के अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने 20 मई तक जांच रपट सौंप देने का आदेश भी दिया है। उन्होंने गली-नाली पक्कीकरण योजना पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इसे प्राथमिकता से कराया जाए। 2096 नल जल योजना का काम पीएचईडी को करना है। आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड वाले इलाके में ट्रीटमेंट प्लांट लगना है। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने 1560 वार्डों में 31 मई तक हर हाल में काम शुरू करने की सख्त हिदायत दी है। जिलाधीश ने कहा कि काम की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और काम में सुस्ती भी कतई सहन नहीं होगी।

आमने-सामने की भिडंत में तीन मरे व दो घायल

जयपुर, 13 मई (भाषा)।

राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र में रविवार को दो दुपहिया वाहनों की आमने-सामने की भिड़ंत में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए।

थानाधिकारी लाबूराम ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ पर किच्छुदडा के पास दो दुपहिया वाहनों की आमने-सामने की भिडंत में मदन सिंह (28), सुरेश सिंह (27)और मनोज सिंह (22) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक घायल हो गए। उन्होंने बताया कि ये लोग विवाह समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे कि किच्छुदडा के पास एक अन्य दुपहिया वाहन से आमने-सामने की भिड़ंत हो गई।

कॉंटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं. 301, मेट्रो प्लाजा, परिवहन मार्ग, जयपुर-302001 (राजस्थान), CIN : L67120RJ1990PLC005371, फोन : 0141-2377301,
ई: मेलः continentalsecuritieslimited@gmail.com, वेबसाईट : www.continentalsecuritiesltd.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनियम मंडल (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 28 मई, 2018 को 2:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें कंपनी के 31 मार्च, 2018 को समाप्त चतुर्थ त्रैमासिक एवं वार्षिक एकल परीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं उन्हें अनुमोदित किया जायेगा।

पुनश्चः कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी की प्रतिभूतियों के लेनेदेन हेतु विंडो 22 मई, 2018 सायं 5:00 बजे से 28 मई, 2018 तक परिणाम घोषित होने के 48 घंटे तक बंद रहेगी।

कृते कॉंटिनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड
ह.
जगदीश चन्द्र केदावत (कम्पनी सचिव)
स्थानः जयपुर
तारीखः 12 मई 2018

एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः औद्योगिक क्षेत्र, एटलस रोड, सोनीपत-131001
CIN No. L35923HR1950PLC001614
टेलीः 0130-2200001-06, फैक्सः 0130-2200018,
ई-मेलः companylaw@atlascyclesonepat.com, वेबसाईटः www.atlasbicycles.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 तथा विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 23 मई, 2018 को 5.00 बजे सायं में 3 औरंगजेब लेन, नई दिल्ली-110011 में आयोजित की जाएगी जिसमें 31.03.2018 को समाप्त तिमाही/ वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैण्डएलॉन एवं समेकित) पर विचार तथा अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिए जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.atlasbicycles.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
एटलस साइकल्स (हरियाणा) लिमिटेड
हस्ता/-
ललित लोहिया
कंपनी सचिव सह-अनुपालन अधिकारी
दिनांकः 12.5.2018
स्थानः सोनीपत

हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार-125005 (हरियाणा)
ईमेलः info@hisarmetal.com, वेबसाइटः www.hisarmetal.com
फोनः (01662) 220067, 220367, 220738, फैक्सः (011) 43851119
सीआईएनः L74899HR1990PLC030937

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन अनिवार्यताऐं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृत करने हेतु और कथित वर्ष के लिए लाभांश, यदि कोई हो, की सिफारिश करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, 29 मई, 2018 को आयोजित की जाएगी।

कंपनी की प्रतिभूतियों में निपटने के लिए ट्रेडिंग विंडो 18 मई, 2018 से 31 मई 2018 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.hisarmetal.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/-
(विशेष कुमार चुघ)
कंपनी सचिव
स्थानः हिसार (हरियाणा)
दिनांकः 12 मई, 2018

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या 01, सैक्टर नॉलेज पार्क-04, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला - गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)

सार्वजनिक सूचना

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत M/s Pigeon Buildhome Pvt. Ltd. के भूखण्ड संख्या GH-07A सैक्टर-Techzone-04 पर दिनांक 13.10.2015 को मानचित्र स्वीकृति प्रदान की गयी थी। बिल्डर द्वारा आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र (Part Occupancy Certificate) Tower-A, Tower-B, Tower-C3, Tower-C4, Tower-D2 & Tower E हेतु दिनांक 07.05.2018 को आवेदन किया गया है, जिसमें पूर्व स्वीकृत फ्लैटों के डिजाइन व अन्य कतिपय संशोधन किया जा रहा है। अतः प्रत्येक आवंटियों द्वारा अपनी Consent दी गई है या नहीं के सम्बन्ध में अपार्टमेन्ट ओनर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस सम्बन्ध में बिल्डर द्वारा प्रस्तुत संशोधित declaration एवं मानचित्र का परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9.30 से सांय 6.00 बजे के मध्य नियोजन विभाग के बाहर लगे नोटिस बोर्ड पर displayed में किया जा सकता है। उ.प्र. अपार्टमेन्ट एक्ट -2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित संशोधन की घोषणा के सम्बन्ध में अपार्टमेन्ट स्वामियों/संघ को नोटिस जारी करने के साथ 30 दिन के अन्दर आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।

अतः उपरोक्त के निहतार्थ अपनी आपत्तियां लिखित रूप से अपने आवंटन पत्र, नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर के साथ कार्यालय समय व कार्यदिवस में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, भूखण्ड संख्या-1, नॉलेज पार्क-04, ग्रेटर नौएडा में स्थित उप महाप्रबन्धक (नियो./वास्तु) विभाग में निर्धारित अवधि अर्थात सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवसों में प्राप्त करायी जा सकती है।

उप महाप्रबंधक (नियोजन), ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण

आरसी इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः L29120HR1992PLC031681
पंजी. कार्यालयः 7वां, के.एम बरवाला रोड, तलवंडी राना, हिसार-125001 (हरियाणा)
ईमेल आईडीः arceeind@rediffmail.com
फोनः 98120-20111, 98120-40111

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, सेबी (सूचीयन अनिवार्यताऐं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाऐं) विनियमावली 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, निदेशक मंडल की बैठक बुधवार 30 मई, 2018, को आयोजित की जाएगी जिसमें 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही व वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों को अन्य बातों के साथ, विचार तथा अनुमोदन पर लिये जाएगें।

इसके अलावा, सेबी के अनुसार (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियमन, 2015, कंपनी के सभी निदेशकों/अधिकारियों/नामित कर्मचारियों के लिए कंपनी के शेयरों में निपटने के लिए ट्रेडिंग विंडो मई 21, 2018 से 1 जून, 2018 (दोनों दिन सहित) तक बंद रहेगा।

यह जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते आरसी इंड्स्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/-
(आर.सी. गुप्ता)
निदेशक
DIN: 00284823
स्थानः हिसार (हरियाणा)
दिनांकः 12.05.2018

अपोलो पाइप्स लिमिटेड

(पूर्व में अमूल्या लीजिंग एंड फाइनांस लिमिटेड)
CIN: L65999DL1985PLC022723
37, हरगोविन्द एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
Email ID: compliance@apollopipes.com
Web: www.apollopipes.com
Tel No.: 011-43334000/22373437;
Fax: 011-22373537

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के अनुपालन, में एतद्द्वारा हम आपको सूचित करते हैं कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 23 मई, 2018 को 12.30 अप. में कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय 36, कौशाम्बी, निकट आनंद विहार, टर्मिनल, दिल्ली-एनसीआर, जिला गाजियाबाद-201010 में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 मार्च, 2018 को समाप्त चौथी तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कम्पनी द्वारा इन्सायडर्स ट्रेडिंग विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिये आचार संहिता के अनुसार ट्रेडिंग विण्डो 16 मई, 2018 से 25 मई, 2018 (दोनों दिवस सहित) तक ट्रेडिंग विण्डो बंद रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
हस्ता./-
आनंद कुमार पाण्डेय
(कम्पनी सचिव)
तिथिः 11.5.2018
स्थानः नई दिल्ली

ECONO TRADE (INDIA) LIMITED

CIN: L51109WB1982PLC035466
(Regd. Office: 9/12 Lal Bazaar Street, 3rd Floor, Block -B, Room No. 3103 Kolkata – 700001, West Bengal, India
Tel. No.: +91 33 2258 3208 | Email Id: etil2011@gmail.com | Website: www.econo.in

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) on the Open Offer to the Shareholders of the ECONO TRADE (INDIA) LIMITED ("ETIL" or the "Target Company") under Regulation 26 (7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations").

1	Date	May 12, 2018
2	Name of the Target Company	**ECONO TRADE (INDIA) LIMITED**
3	Details of the Offer pertaining to Target Company	Open Offer is being made by the Acquirers for the acquisition of 48,54,090 (Forty Eight lakh Fifty Four Thousand Ninety Only) fully paid-up equity shares of ₹ 10 each, representing 26.00 % of the equity and voting share capital at a price of ₹ 20 (Rupees Twenty Only) per equity share, payable in cash in terms of regulation 3(1) & 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
4	Name(s) of the Acquirers	1. Mr. Kasambhai Umarbhai Shekh; 2. Ms. Shekh Hasina kasambhai; 3. M/s. Robert Resources Limited;
5	Name of the Manager to the Offer	**Gretex Corporate Services Private Limited** 102, 1st Floor, Atrium-2, Behind Courtyard Marriott Hotel, Andheri Kurla Road, Hanuman Nagar, Andheri-East, Mumbai-400093, Maharashtra Tel : 9836822199; 9836821999; Fax : 022-40025273 Email: info@gretexgroup.com; Website: www.gretexcorporate.com Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee
6	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	1. Irfan Ahmedbhai Belim- Chairman 2. Tuhina Rakshit - Member
7	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	None of the Members of the IDC hold any equity shares in the Target Company nor have any relationship with the other Directors of the Target Company and apart from being the directors of the TC they are not related to each other in any manner.
8	Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	No trading has been done by the IDC Members in the Equity Shares/ Other Securities of the Target Company since their appointment.
9	IDC Member's relationship with the acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the IDC Members have any relationship with the Acquirers .
10	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirers by IDC Members	Not Applicable
11	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer , is or is not, fair and reasonable	Based on the review of PA, DPS, DLOF and LOF issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers, IDC Members believe that the Open Offer is in accordance with the SEBI (SAST) Regulations and to that extent is fair and reasonable.
12	Summary of reasons for recommendation	Based on the review of Public Announcement ('PA') dated December 14, 2017, the Detailed Public Statement('DPS') dated December 21, 2017, Draft Letter of Offer dated December 29, 2017 ('DLOO') and Letter of Offer dated May 08, 2018 ('LOF'), the IDC has taken into consideration the following for making this recommendation: (i) A review of the contents of PA, DPS, DLOF and LOF leads the IDC to opine that the offer price offered by the Acquirers is in compliance with the SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Volume Weighted Average Market Price of shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of the public announcement as traded on the Stock Exchange was Rs 5.41 per share, which was less than Rs 20 per share. (Hereinafter referred to as "SPA Price"). In view of the parameters considered in terms of Regulation 8(2) of SAST 2011 and in the opinion of the Acquirers and Manager to the Offer, the Offer Price of Rs. 20/- per equity share being the highest of the prices mentioned above is justified in terms of Regulation 8 of the SEBI (SAST) Regulations. (ii) Based on the above, the IDC is of the opinion that the offer price to the shareholders of the Target Company is in compliance with the requirements of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 and is fair and reasonable. The shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the offer and take an informed decision whether or not to offer their shares in the Open Offer.
13	Details of Independent Advisors, if any.	Nil
14	Any other matter to be highlighted	Nil

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of
The Committee of Independent Directors of
ECONO TRADE (INDIA) LIMITED
Sd/-
(Irfan Ahmedbhai Belim)
Chairman- Committee of Independent Directors

Place: Kolkata
Date: May 12,2018

Raka

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमि.

kotak
एससीओ नं. 153-154, सैक्टर 9-सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़, फोन नं. 0172-5085180

(नियम- 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

कोटक महिन्द्रा बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) तथा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित डिमांड नोटिस में वर्णित राशियों के लिए आमंत्रित करते हुए वर्णित तिथि को कर्जदारों/ गारंटरों को डिमांड नोटिस जारी किया था।

कर्जदार/गारंटरों द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार/गारंटर व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने ऊपर कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्णित तिथि को यहां वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।

कर्जदार/गारंटर को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन कथित खाते के अंतर्गत यहां नीचे वर्णित राशियों के अलावा आगामी ब्याज व अन्य प्रभार/ खर्चों के लिए कोटक महिन्द्रा बैंक लिमि. के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदारों/गारंटरों/सह कर्जदारों का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	धारा 13 (2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस की तिथि	धारा 13 (4) के अंतर्गत कब्जा सूचना की तिथि	धारा 13 (2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस के अनुसार राशि
1) मै. हाइड्रिक फार्म इन्पुट्स लिमिटेड, पताः 34, रोहताश एन्क्लेव-4, रविन्द्रा पल्ली, फैजाबाद रोड, लखनऊ, यू.पी.। 2) श्री पंकज रस्तौगी, निवासी 34, रोहताश एन्क्लेव-4, रविन्द्रा पल्ली, फैजाबाद रोड, लखनऊ, यू.पी. (गारंटर)। 3) श्री दीपक रस्तौगी, 34, रोहताश एन्क्लेव-4, रविन्द्रा पल्ली, फैजाबाद रोड, लखनऊ, यू.पी. (गारंटर)। 4) श्री पीयूष रस्तौगी, 34, रोहताश एन्क्लेव-4, रविन्द्रा पल्ली, फैजाबाद रोड, लखनऊ, यू.पी. (गारंटर)। 5) श्रीमती मधु रस्तौगी, निवासी 34, रोहताश एन्क्लेव-4, रविन्द्रा पल्ली, फैजाबाद रोड, लखनऊ, यू.पी. (गारंटर)। 6) श्री परेश रस्तौगी, निवासी 34, रोहताश एन्क्लेव-4, रविन्द्रा पल्ली, फैजाबाद रोड, लखनऊ, यू.पी. (गारंटर)।	**सम्पत्ति क:** श्री पंकज रस्तौगी सुपुत्र श्री जे.एल. रस्तौगी के स्वामित्व में प्लाट नं. टीसीजी-4/4, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010-यू.पी. में स्थित -प्रेजिडेंशियल टॉवर- के नाम से ज्ञात परिसर के पांचवे तल पर ब्लाक-बी, रकबा लगभग 203.74 वर्ग मीटर (सुपर एरिया) में रिहायशी फ्लैट धारक फ्लैट नं. बी-501 के साथ सभी फिटिंग्स, फिक्चर्स तथा उस पर विनिर्माण व उसके नीचे भूमि में अविभाजित अधिकार के साथ संयुक्त सुविधाओं के होते हुए गैर कृषीय अचल संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग। **सीमाबद्ध :** पूर्व की ओरः फ्लैट बी-502, **पश्चिम की ओरः** खुला आसमान/ लिफ्ट/ लोबी, **उत्तर की ओरः** खुला आसमान, **दक्षिण की ओरः** खुला आसमान। उस पर सभी वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण के साथ तथा उससे संलग्नित सभी इजमेंटरी/ मामूल अधिकार। **सम्पत्ति ख:** श्री पीयूष रस्तौगी सुपुत्र श्री एल.सी. रस्तौगी के स्वामित्व में प्लाट नं. टीसीजी-4/4, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010-यू.पी. में स्थित -प्रेजिडेंशियल टॉवर- के नाम से ज्ञात परिसर के पांचवे तल पर ब्लाक-बी, रकबा लगभग 203.74 वर्ग मीटर (सुपर एरिया) में रिहायशी फ्लैट धारक फ्लैट नं. 502 के साथ सभी फिटिंग्स, फिक्चर्स तथा उस पर विनिर्माण व उसके नीचे भूमि में अविभाजित अधिकार के साथ संयुक्त सुविधाओं के होते हुए गैर कृषीय अचल संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग। **सीमाबद्ध :** पूर्व की ओरः खुला आसमान/ लिफ्ट/ लोबी, **पश्चिम की ओरः** खुला आसमान/ फ्लैट बी-501, **उत्तर की ओरः** खुला आसमान, **दक्षिण की ओरः** खुला आसमान। उस पर सभी वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण के साथ तथा उससे संलग्नित सभी इजमेंटरी/ मामूल अधिकार। **सम्पत्ति ग:** श्री पंकज रस्तौगी सुपुत्र श्री जे.एल. रस्तौगी के स्वामित्व में प्लाट नं. टीसीजी-4/4, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010-यू.पी. में स्थित -प्रेजिडेंशियल टॉवर- के नाम से ज्ञात परिसर के 12वें तल पर ब्लाक-बी, रकबा लगभग 203.74 वर्ग मीटर (सुपर एरिया) में रिहायशी फ्लैट धारक फ्लैट नं. बी 1202 के साथ सभी फिटिंग्स, फिक्चर्स तथा उस पर विनिर्माण व उसके नीचे भूमि में अविभाजित अधिकार के साथ संयुक्त सुविधाओं के होते हुए गैर कृषीय अचल संपत्ति के सभी अनिवार्य अंग। **सीमाबद्ध :** पूर्व की ओरः खुला आसमान/ लिफ्ट/ लोबी, **पश्चिम की ओरः** फ्लैट बी-1201, **उत्तर की ओरः** खुला आसमान, **दक्षिण की ओरः** खुला आसमान। उस पर सभी वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण के साथ तथा उससे संलग्नित सभी इजमेंटरी/ मामूल अधिकार।	30.12.2017	10.05.2018	1,63,03,660.39 रु. (केवल एक करोड़ तरेसठ लाख तीन हजार छः सौ साठ रुपए तथा उनतालीस पैसे) जो 15.12.2017 को है और वास्तविक अदायगी की तिथि तक उस पर आगामी ब्याज/ ब्याज जुर्माना, आकस्मिक खर्चे, लागतें, प्रभार आदि।

दिनांकः 13.05.2018
प्राधिकृत अधिकारी